

08.04.17

प्रकरण वृहद लोक अदालत में पेश।
राज्य द्वारा एडीपीओ।
आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव।
प्रकरण में मध्यस्थता रिपोर्ट सेटलमेन्ट डीड के साथ प्राप्त
जिसके अनुसार मध्यस्थता सफल रही।

प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पर विचार
किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि
आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294, 147, 323/149, 451, 506 भाग दो भा.द.
स. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया हैं जो न्यायालय की अनुमति
उपरांत राजीनामा योग्य है। फरियादी राजवीर व श्रीमती लक्ष्मी तथा मृतका
वंदना की ओर से उसके विधिक प्रतिनिधि पिता राजवीर ने आरोपीगण से
स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है।
मृतका वंदना का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश है। आवेदकगण राजीनामा करने हेतु
सक्षम है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है।
अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें
राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है और राजीनामा के आधार
पर आरोपीगण को भा.द.स. की धारा 294, 147, 323/149, 451, 506
भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

आदेश की प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

सही / -

(गोपेश गर्ग)

अध्यक्ष एवं जे.एम.एफ.सी.,

खण्डपीठ क्रमांक 22, गोहद

जिला भिण्ड म.प्र.

सदस्य

श्री राकेशचन्द्र गुप्ता अधि.

श्री गब्बरसिंह गुर्जर अधि.